इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ-25-33-2017-दस-3.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वनोपज की इलेक्टोंनिक नीलामी के विनियम के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सेवा प्रदाता की नियुक्ति तथा वनोपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के लिए शुल्क का निर्धारण नियम, 2017 है.

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगा.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं:**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "इलेक्ट्रॉनिक नीलामी" से अभिप्रेत है, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से राज्य में स्थित वन विभाग के डिपो से वनोपज का निपटारा.

(ख) "वनोपज" के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उपधारा (2) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है,

(ग) "क्रेता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में वनोपज क्रय करता है,

(घ) "सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्टॉनिक विकास निगम द्वारा विकसित पोर्टल https://mpeproc.gov.in.

3. **निबंधन तथा शर्तें:**—वनोपज की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के विषय में निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित होंगी:—

(एक) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम वनोपज के प्रभावी निपटारे के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त करेगा,

(दो) सेवा प्रदाता द्वारा विकसित पोर्टल https://mpeproc.gov.in. का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए किया जाएगा,

(तीन) सेवा प्रदाता, क्रेता से रजिस्ट्रेशन प्रभार के रूप में रुपए 500/- (यथा प्रायोज्य कर) तथा एक वर्ष पश्चात् रुपए 100/- (यथा प्रायोज्य कर) वार्षिक संधारण प्रभार के रूप में प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा.

(चार) सेवा प्रदाता, सफल क्रेता से रुपए 250/- (यथा प्रायोज्य कर) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्र. एफ-25-33-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-33-2017-दस-3, दिनांक 20 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2018

No. F-25-33-2017-X-3.—In exercise of the power conferred by section 6-A of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating the electronic auction of the forest produce, namely:—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh appointment of Service Provider and fixing of charges for Electronic Auction of Forest Produce.

(2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Electronic Auction" means the disposal of forest produce from the Forest Department Depot situated in the State through Electronic Auction;

(b) "Forest Produce" shall have the same meaning as assigned in sub-section (2) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

(c) "Purchaser" means a person, who purchases Forest produce in electronic Auction;

(d) "Service Provider" means the Portal http://mpeproc.gov.in developed by the Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation.

3. **Terms and conditions.**—The terms and conditions regarding e-auction of the forest produce shall be under,—

(i) Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation shall appoint the Service provide for efficient disposal of the Forest Produce;

(ii) The portal https://mpeproc.gov.in developed by the service provider shall be used for the Electronic Auction;

(iii) The Service Provider shall be authorized to receive Rs. 500/- (taxes as applicable) as registration charges and after one year Rs. 100/- (taxes as applicable) as annual maintenance charge from the purchaser;

(iv) The service provider shall be authorized to receive Rs. 250/- (taxes as applicable) from the successful purchaser.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.